स्थानान्तरण नीति से संबन्धित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: मैं दो वर्ष से एक विद्यालय में कार्यरत हूँ। विभाग द्वारा जारी पत्र के बाद गलती से स्थानान्तरण के लिए हाँ का विकल्प दे दिया जबकि में अपने वर्तमान विद्यालय में ही संतुष्ट हूँ।

उत्तर: आप पुनः लॉग इन करके अपना विकल्प बदल सकते है।

प्रश्न: मैं पाँच वर्ष से अधिक समय से एक ही विद्यालय में कार्यरत हूँ। विभाग द्वारा जारी पत्र के बाद मैं स्थानान्तरण के लिए हाँ का विकल्प देना चाहता हूँ। लेकिन मुझे मेरे लॉग इन में यह विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। या यह संदेश आता है कि "as per transfer policy you have you have complete five years of service in current zone so you can give preference for zone and school after dates are defined for filling preferences"

उत्तर: क्योंकि आपका एक विद्यालय में पाँच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और स्थानान्तरण नीति अनुसार आप स्थानान्तरण के जान में कवर हो चुके है इसलिए आपको हाँ का विकल्प चुनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही जोन और विद्यालय चुनने के लिए पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध होगा आप वांछित जोन और विद्यालय का विकल्प चुन सकेंगे।

प्रश्न: मैं टीजीटी के पद पर कार्यरत था और हाल ही में मेरी पदोन्नति पीजीटी पद पर हुई है। मैंने नये विद्यालय में कार्यग्रहण कर लिया है। स्थानान्तरण के लिए हाँ करने का विकल्प मेरे लॉग इन में नहीं दिख रहा है।

उत्तर: आपको हाँ का विकल्प देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही जोन और विद्यालय चुनने के लिए पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध होगा आप वांछित जोन और विद्यालय का विकल्प चुन सकेंगे।

प्रश्न: मैं पीआरटी के पद पर कार्यरत हूँ और हाल ही में मेरी अन्तर जिला स्थानान्तरण नीति के तहत दूसरे जिले में बदल हुई है परन्तु नये जिला में विद्यालय अलाट नहीं हुआ है। क्या मैं पोर्टल में माध्यम से नये जिला में विद्यालय का चयन कर सकता हूँ।

उत्तर: इस स्थानान्तरण नीति में केवल जिला काडर के अध्यापकों के लिए जिला के अन्दर व स्टेट काडर के अध्यापकों के लिए विभिन्न जिलों के जोन व विद्यालय चुनने का विकल्प है। इसलिए फिलहाल आप अपने वर्तमान जिला में ही वांछित जोन व विद्यालय का चयन कर सकते है।

प्रश्न: मैं नई स्थानान्तरण नीति के तहत अपना स्थानान्तरण करवाने के लिए अपने लॉग इन से हाँ का विकल्प देना चाहता हूँ परन्तु मुझे संदेश दिखाई देता है कि "either your service provide or personal profile is not approved" |

उत्तर: इस नीति के तहत स्थानान्तरण का विकल्प देने से पूर्व आपका नीजि व सर्विस प्रोफाईल मंजूर होना अनिवार्य है। अतः आप से अनुरोध है कृपया अपना नीजि व सर्विस प्रोफाईल को अपने अधिकारी से मंजूर करवाएँ।